महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या-08/2016/708/84-3-16-नि0-64/2008,

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप 3 लखनऊ::दिनांक 18 नवम्बर, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की भोजन व्यवस्था हेतु खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की आपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1712डब्लू0बी0/बत्तीस-2016, दिनांक 19-09-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की भोजन व्यवस्था हेतु खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) की आपूर्ति हेतु पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र एवं उत्तर क्षेत्र के लिए निविदादाताओं से निगोशिएशन में प्राप्त गेहूँ की न्यूनतम दर रू0 2236.00 (रूपये दो हजार दो सौ छत्तीस मात्र) प्रति कुन्तल एवं चावल की न्यूनतम दर रू0 2416.00 (रूपये दो हजार चार सौ सोलह मात्र) प्रति कुन्तल पर एतदद्वारा इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया जाता है कि प्रश्नगत खाद्यान्न क्रय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि किसी भी दृष्टिकोण से वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न न हो। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

बाल कृष्ण त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या-08/2016/708/84-3-16-नि0-64/2008तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

आज्ञा से,

अशोक कुमार मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in